

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 211/2019</p>  | <p>नं0 व तारीख<br/>अहकाम जो इस<br/>हुकम की तामील<br/>में जारी हुए</p> |
| <p>18.12.19</p>   | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.10.2019 में उसके द्वारा (1) पटवारी पटवार मण्डल खुडाला तहसील लूणी का वर्ष 2016-17 के नामान्तरकरण चैक रजिस्टर पी-21 की नियमानुसार प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> |   |

